

KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6 Mob: 8877918018, 875735880

Polity

By. Karan Sir

For Student

- ❖ Use this Schema for Developing Answer Writing Skills.
- ❖ Word Limit: 700
- Estimated Time: 35
- Draw Diagram or Chart, if required.
- Use Suggested Keyword to Develop Content.
- The Topic is developed using Key Point / Heading Table in the right.

<u>1. प्रस्तावना</u>

Order	Key Points/Heading
1	Introduction
2	Definition
3	Components
4	Explanation
5	Act & Amendment
6	Conclusion

> Introduction

- प्रस्तावना (Preamble) को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था।
- प्रस्तावना, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता,
 समानता को सुरिक्षत करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढावा देती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाये
 गये पेश किये गये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
- प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेषज्ञ श्नानी पालकीवालाश ने ''संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।''

Definition

- Q. भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है?
- हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथिनरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और , राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा, उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के

लिए, दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

Components

प्रस्तावना के चार घटक इस प्रकार हैं:

- 1. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधि कार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है।
- 2. यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है।
- 3. यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढावा देता है।
- 4. इसमें उस तारीख (26 नवंबर 1949) का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था।

Explanation

प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है-

- > संप्रभुता (Sovereignty)
- प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। सम्प्रुभता शब्द का अर्थ कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णत: मुक्त सम्प्रुभता सम्पन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गयी कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है।

> समाजवादी (Socialist)

- 'समाजवादी' शब्द संविधान के 1976 में हुए 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' को अपनाया है।
- लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना प्रकार है, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। भारत को समाजवादी राज्य बनाने के सन्दर्भ में संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद राज्य ने जनहित हेतु आर्थिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

- राज्य को नीति के निदेशक तत्व के अन्तर्गत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्देश देने के लिए उपबन्ध किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ष्समाजवादी शब्द अन्त:स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय राजव्यवस्था का ध्येय समाजवाद है।
- ध्यातव्य है कि यहां समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बिल्क इसका अर्थ है, सामाजिक-आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। इसी संशोधन द्वारा कुछ नये निर्देश जोड़कर समाजवादी ढाँचे को और आगे बढ़ाया गया। अनुच्छेद 39 'क' अन्त:स्थापित करके राज्य पर कर्तव्य डाला गया है कि वह नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो, जैसा कि प्रस्तावना में घोषित है। अनुच्छेद 43 'क' अन्त: स्थापित करके राज्य को यह निदेश दिया गया है कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे, आर्थिक न्याय की प्राप्ति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर एक सशक्त कदम है।

> धर्मनिरपेक्ष (Secular)

- अनेक मर्ती (धर्मों) को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। एधर्मनिरपेक्षर शब्द संविधान के 1976 हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 'पंथ निरपेक्ष' शब्द अन्त: स्थापित करके सुनिश्चित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारिक अथवा मूलभूत ढांचे में से एक है। भारतीय संविधान में धर्मीनरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है।
- ♦ 42वां संविधान संशोधन ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कर इस सिद्धान्त को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया, जो मूल संविधान में पहले से ही अन्तर्निहित था प्रस्तावना में जिस विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन दिया गया है उसे संविधान के भाग-III के अनुच्छेद 25-28 में धर्म की स्वतंत्रता से सम्बन्धित सभी नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में समाहित कर क्रियान्वित किया गया है, इसमें अनुच्छेद 27 एवं 28 उल्लेखनीय है-
- अनुच्छेद 27: यह घोषणा करता है कि श्राज्यर किसी नागरिक या संस्था को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था को पोषण हेत करों की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 28 : राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अथवा उसके संरक्षक की सहमित के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। संक्षेप में राज्य के स्वामित्व की शिक्षा

संस्था में धार्मिक शिक्षा पूर्णत: प्रतिषिद्ध है, साम्प्रदायिक संस्थाओं में यह पूर्णत: प्रतिषिद्ध नहीं है, किन्तु इसे अन्य धर्मावलिम्बयों पर उसकी सहमति के बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

लोकतांत्रिक (Democratic)

लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं।

गणराज्य (Republic)

एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है; जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा, एक गणतंत्र में, राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है।

> न्याय (Justice)

- प्रस्तावना में न्याय शब्द को तीन अलग-अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है।
- ❖ प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग-अलग सदस्यों के बीच संपित के समान वितरण से है जिससे संपित कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है।

> स्वतंत्रता (Liberty)

स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी अभाव या गितविध यों के वर्चस्व के कारण तानाशाही गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है।

> समानता (Equality)

समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है।

भाईचारा (Fraternity)

भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाये रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है।

Act & Amendment:

> प्रस्तावना में संशोधन :

1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम (अभी तक केवल एक बार) द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अदालत इस संशोधन को वैध ठहराया था।

> सप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या

- संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरूबरी यूनियन के मामले में (1960) सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि यदि संविध ज्ञान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

Conclusion

इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता अथवा निष्पक्षता प्रदान करते हैं।

> मुख्य परीक्षा से संबंधित संभावित प्रश्न :

Q.1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? इसके मूल घटकों की चर्चा करते हुए प्रस्तावना में हुए कुछ प्रमुख संशोधनों की विस्तृत चर्चा कीजिए। (38 Marks)

- **Ans.** Introduction + Definition + Components + Act & Amendment + Conclusion (your answer between 350 to 500 words)
- Q.2. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए 'धर्मनिरपेक्षता, अखण्डता तथा समाजवादी' शब्दों का उल्लेख करें। (38 Marks)
- **Ans.** Introduction + Act & Amendment + Explanation + Conclusion (your answer between 350 to 500 words)
- Q.3. उन संवैधानिक उपबन्धों का उल्लेख करें जिनके द्वारा भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु क्रियान्वित किया गया है। (38 Marks)
- Ans. Introduction + Act & Amendment + Explanation + Conclusion (your answer between 350 to 500 words)
- Q.4. "भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मीनरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।'' इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन-से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? (38 Marks) (64th BPSC)
- **Ans.** Introduction + Act & Amendment + Explanation + Conclusion (your answer between 350 to 500 words)
- **Q.5.** प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या करें। (Short Question) (9.5 Marks)
- **Ans.** Introduction (30 to 50 words) + Explanation (only 50 to 80 words) + Conclusion (20 to 30 words)
- Q.6. भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी से आप क्या समझते हैं? (Short Question) (9.5 Marks)
- **Ans.** Introduction (30 to 50 words) + Explanation (only 50 to 80 words) + Conclusion (20 to 30 words)
- Q.7. प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दें (Short Question / Full Question)
- Ans. आप सभी की पॉइंट्स या हैडिंग (key points or headings) वाले पार्ट्स को शार्ट करके लिखे ।
- **Q.8.** प्रस्तावना में हुए महत्वपूर्ण संशोधन की चर्चा करें। (short Question) (9.5 Marks)
- Ans. Introduction (30 to 50 words) + Act & Amendment (50 to 80 words) + Conclusion (20 to 30 Words) (your answer between 150 to 200 words)

000